भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3476
उत्तर देने की तारीख: 08.08.2022

पीएम पोषण योजना

3476. डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री सुनील कुमार सिंह:
श्री सुमेधानन्द सरस्वती:
श्रीमती रंजीता कोली:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या सरकार इस योजना के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार को कौन-कौन सी चुनौतियों का सामना करना पडा है;
(ग) क्या इस योजना का विस्तार सभी प्राथमिक कक्षाओं या बाल वाटिका में पढ़ने वाले छात्रों तक नहीं किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) झारखंड और राजस्थान सहि त सभी राज्यों में इस योजना के आरंभ से लेकर इसके अंतर्गत विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्राओं सहित लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और
(च) विद्यालय जाने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण)' को मंजूरी दे दी है। इस योजना में 11.20 लाख सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा I से VIII के 11.80 करोड़ बच्चों के अलावा, प्राथमिक विद्यालयों में बालवाटिका (कक्षा I से पहले) में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।

इस योजना का उद्देश्य भारत में बहुसंख्यक बच्चों के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पात्र बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करते हुए दो प्रमुख समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा की समस्या का समाधान करना और वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को और अधिक नियमित रुप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना तथा गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा/आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के साथ-साथ कक्षा गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में उनकी सहायता करना है।

नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी के माध्यम से योजना का मूल्यांकन किया है। वर्ष 2017-18 में राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) के नेतृत्व में एक मूल्यांकन भी किया गया था। दोनों अध्ययनों के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (2016-2018) के अनुसार स्कूलों में मध्याह्न भोजन प्राप्त करने वाले छात्रों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है।
- स्कूलों में पढ़ने वाले 92% छात्र मध्याह्न भोजन प्राप्त कर रहे थे
- 80% से अधिक माता-पिता ने कहा कि मध्याह्न भोजन से नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई, उनके बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ
- 96% शिक्षकों ने बताया कि मध्याह्न भोजन से स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हुआ है
- 92% शिक्षकों ने कहा कि मध्याह्न भोजन से नामांकन में वृद्धि हुई और उपस्थिति में सुधार हुआ

कोविड -19 महामारी के दौरान जब स्कूल बंद थे, सरकार के सामने मुख्य समस्या पात्र बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना था। इसलिए, सभी नामांकित बच्चों को इस योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत सहित खाद्य सुरक्षा भत्ता (एफएसए) दिया गया था।

(ङ): यह योजना जेंडर और सामाजिक वर्ग भेदभाव के बिना सभी पात्र बच्चों को कवर करते हुए पूरे देश में लागू की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान झारखंड और राजस्थान सहित सभी राज्यों में 11.80 करोड़ बच्चे (लड़के और लड़कियां दोनों) इस योजना के तहत नामांकित हैं।

(च): योजना के तहत एक गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के अलावा, पात्र बच्चों के पोषण मानकों में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्यकलाप भी किए जा रहे हैं:

- तिथि भोजनः तिथि भोजन की अवधारणा को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। तिथि भोजन एक सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम है जिसमें लोग नियमित भोजन के अलावा विशेष अवसरों/त्योहारों पर बच्चों को विशेष भोजन उपलब्ध कराते हैं।
- स्कूल पोषण उद्यान: बच्चों को प्रकृति और बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव देने के लिए स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यान विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- अनुपूरक पोषाहार: जिन जिलों में कुपोषण आदि के अधिक मामले चिन्हित किये गये हैं, उन जिलों में पूरक पोषाहार के लचीलेपन घटक के तहत समुचित प्रावधान किया जा रहा है।
- कुछ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र छात्रों को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, फल आदि उपलब्ध कराते हैं।

*****